



UTTARANCHAL

प्रारूप-26
शापथपत्र

00AA 335677

शापथकर्ता :- श्री मदनसिंह सिंह बन्धु व। नर्षि पुत्र कुकम
सिंह सिंह, ग्राम कनलगाँव, पो० नगवाली
पोस्ट, तहसील क्षारहर, जिला- नैनीताल।

नोट :- शापथी प्रारूप के साथ सलमन



शापथकर्ता
Y. C. Joshi
Ranikhet

48 इराहाट

निर्वाचन क्षेत्र से

(निर्वाचन क्षेत्र का नाम)

विधान सभा इतराहाट (सदन का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर के समक्ष
अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाला शपथ-पत्र

मैं मदनसिंह खिपर पुत्र/पुत्री/पत्नी इकमाराह खिपर

आयु 51 वर्ष, जो ग्राम कमलगाँव, पोस्ट नयाबाग, पोस्ट नयाबाग, इतराहाट, जिला इतराहाट, राज्य उत्तरांचल का/की निवासी हूँ
और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ/शपथ पर
निम्नलिखित कथन करता हूँ/करती हूँ :-

1- मैं, ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध
(अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित
किया गया है/किए गए हैं। नहीं
(यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी
प्रस्तुत करेगा/करेगी):

- (i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं नहीं
(ii) पुलिस थाना (थाने) नहीं जिला (जिले) इतराहाट राज्य उत्तरांचल
(iii) संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त
विवरण जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी आरोपित किया गया है नहीं

- (iv) न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई नहीं
(v) तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किया गया था/किए गए थे नहीं
(vi) क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई
है/हैं नहीं

2- मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम (1951) (1951 का 43) की धारा 8
की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अन्तर्गत आने वाले किसी अपराध
(अपराधों) से गिन्न के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक
के लिए कारावास से दंडादिष्ट किया गया है/नहीं किया गया है।

(यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह
निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा)

- (i) मामला प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं नहीं
(ii) न्यायालय, जिसने दंडित किया है नहीं

(7)

मदनसिंह खिपर



(iii) पुलिस थाना (थाने) राजीव जिला (जिले) राजीव राज्य राजीव

(iv) संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और उस अपराध (उन अपराधों का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए अम्यर्थी कमी आरोपित किया गया है) राजीव

(v) तारीख (तारीखें) जिनको दंडादेश सुनाया गया था/सुनाए गए थे राजीव

(vi) क्या दंडादेश सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोका गया है/रोके गए है राजीव

स्थान: राजीव

तारीख: 09/01/2012

राजीव
अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

सत्यापन

मैं, ऊपर नामित अभिसाक्षी, यह सत्यापित और घोषित करता/करती हूँ कि इस शपथपत्र की अंतर्वस्तु मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है और कोई तात्त्विक बात छिपायी नहीं गई है।



राजीव स्थान पर आज तारीख 09/01/2012 को सत्यापित किया।

राजीव
अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

टिप्पणी: इस प्ररूप के वे स्तंभ, जो अभिसाक्षी को लागू नहीं है, काट दिए जाएं।

Notary Public
I, Y. C. JOSHI, Notary Public for the State of Uttarakhand, do hereby certify that the contents of this Affidavit are true with the best of my knowledge and belief.
Subscribed and sworn to before me on this 9/1/12 day of January 2012 at Ranikhet.
Y. C. JOSHI
Notary Public
9/1/12